दिनांक 24.11.2018 को प्रधान सचिव, कृषि विभाग की अध्यक्षता में सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) एवं जिला कृषि पदाधिकारियों के साथ आयोजित विडियों कॉफ्रेंस की कार्यवाही :–

उपस्थितिः– संचिका में संधारित

1. कृषि निदेशक, बिहार द्वारा बताया गया कि दिनांक 21.11.2018 को बापू सभागार, पटना में सूखाग्रस्त प्रखण्डों के लिए कृषि इनपुट अनुदान वितरण के कार्यान्वयन के सम्बंध में विस्तृत जानकारी एवं सुझाव दिये गये हैं। इसके कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शीका भी सभी सम्बंधित पदाधिकारियों को भेज दिया गया है। इसी के आधार पर ऑनलाइन कृषि इनपुट का वितरण करना सुनिश्चित किया जाय। निदेश दिया गया कि पंचायतों में कैम्प आयोजित कर प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच/सत्यापन कराया जाय। जिला पदाधिकारी से सम्पर्क कर कैम्प के लिए दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति अवश्य करा लेंगें। दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल के बगैर कैम्प आयोजित नहीं करेंगे।

(अनु0– सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

2. बीज :–

2.1 सुचित किया गया कि रब्बी मौसम में कार्यान्वित सभी योजनाओं के लिए बीज बी.आर.बी.एन. के माध्यम से उपलब्ध कराये जा रहें हैं। सर्वप्रथम बी.आर.बी.एन द्वारा उत्पादित बीज जिलों को उपलब्ध कराया जायेगा। इसके बाद प्राईवेट कम्पनियों का बीज निविदा के माध्यम से क्रय कर बी.आर.बी.एन द्वारा उपलब्ध करायां जायेगा। यदि किसी जिले में बीज की कमी हो तो वे बी.आर.बी.एन या उप निदेशक (शष्य) बीज से सर्म्पक कर बीज की उपलब्धता सुतिश्चित करेंगे।

(अनु0– सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

2.2 जिला कृषि पदाधिकारी नालन्दा एवं भागलपुर द्वारा बताया गया कि एन.एस.सी. का प्राप्त चना बीज पर Expiry Date अप्रैल, 2018 अंकित है एवं कुछ बैग पर Expiry Date अंकित नहीं है। निदेश दिया गया कि ऐसे बीज का वितरण नहीं किया जाय। इन जिलों को पुनः दूसरा बीज भेजा जायेगा।

(अनु0–बी0आर0बी0एन0)

3. कृषि यांत्रिकरण :–

3.1 सुचित किया गया कि 160.00 करोड़ रूपये की राज्य योजना मंत्रिपरिषद से स्वीकृत हो गया है। स्वीकृति आदेश निर्गत होने की प्रक्रिया में है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 59410 ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हुए है, जो काफी कम है। इसके साथ ही 23014 आवेदन कृषि समन्वयकों के स्तर पर एवं 8249 आवेदन प्रखण्ड कृषि पदाधिकारियों के स्तर पर सत्यापन हेतु लम्बित है। इस संबंध में सभी संबंधित AC, किसान सलाहकार से लम्बित आवेदनों का नियमानुसार शीघ्र सत्यापन कराने का निदेश दिया गया।

3.2 प्रत्येक जिला में 10 कृषि यांत्रिकरण मेला का आयोजन किया जाना है। वित्तीय वर्ष में अब मात्र चार माह शेष रह गया है। इसी अवधि में उपलब्धि करनी है। इसलिए अधिक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त की जाय।

3.3 एस0एम0ए0एम0 योजनान्तर्गत कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 में उपलब्ध करायी गयी राशि में से अव्यवहृत राशि वर्ष 2018–19 में व्यय

हेतु Revalidate की गई है। इसे 31 मार्च, 2019 तक खर्च करना है। इस राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजे जाने के बाद ही अगले वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा राशि उपलब्ध करायी जायेगी। अतः सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि उक्त राशि का शीघ्र व्यय करना सुनिश्चित किया जाय।

3.4 कुछ जिलों यथा– पश्चिम चम्पारण, अरिरिया, सिवान, एवं अन्य में कृषि समन्वयक को पंचायत के अतिरिक्त प्रभार दिये जाने अथवा नये पंचायत में प्रतिनियुक्त किये जाने के फलस्वरूप उनको नये आई0डी0 एवं पासवर्ड की आवश्यकता है। नोडल पदाधिकारी, कृषि यांत्रिकरण को निदेश दिया गया कि नया आई0डी0 एवं पासवर्ड जेनरेट करने हेतु DAO Login में Date Open करने का प्रावधान किया जाय।

3.5 अरवल, सुपौल आदि जिलों से बताया गया कि OFMAS में आवेदन करने पर कुछ आवेदनों को पंचायत का नाम सही नहीं आ रहा है। निदेश दिया गया कि इस तरह के मामलों को लिखित रूप में प्रतिवेदित किया जाय तथा डी0बी0टी0 कन्सलटेन्ट को निदेश दिया गया कि ऐसे मामलों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर अविलम्ब किया जाय।

(अनु0–कंडिका 3.1 से 3.5 सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

4. <u>भूमि संरक्षण निदेशालय की योजनाः–</u>

4.1 वित्तीय वर्ष 2016–17 में उत्तर बिहार के जिलों (यथा कटिहार, मुजफ्फरपुर, वेगुसराय, सारण, सिवान, मधेपुरा, सीतामढ़ी, गोपालगंज एवं वैशाली) के साथ–साथ दक्षिण बिहार के कुल 17 जिलों में भूमि संरक्षण/ BWDS के अन्तर्गत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना– PDMC/ other Intervention & BGREI Sub plan की योजनाएँ चलायी गयी है, जिसमें PMKSY-PDMC के तहत वैशाली में 49.01% , गोपालगंज 50.00 %, सीतामढ़ी 62.71%, मधेपुरा 63.26%, सिवान 83.07%, सारण 83.10%, वेगुसराय 83.96%, मुजफ्फरपुर 88.46%, , भोजपुर 89.84% एवं कटिहार जिले का 95.10% उपलब्धि प्राप्त हुई है।

PDMC/ other Intervention 2016-17 में वैशाली 38.36%, सीतामढ़ी 54.57%, मधेपुरा 63.31% मुजफ्फरपुर 71.56%,सारण 86.24% सिवान 91.07 एवं भोजपुर 95.74% उपलब्धि प्राप्त किया है।

इसी प्रकार BGREI Sub Plan के तहत शेखपुरा 30.03% खगडिया 47.89% वेगुसराय 56.25% वैशाली 85.73% एवं सारण 92.40% उपलब्धि प्राप्त की है।

निदेशित किया गया है कि संबंधित तीनों योजनाओं का अव्यवहृत राशि दिनांक 30.11.2.018 तक व्यय कर लें अन्यथा राशि वापस करते हुए योजनाओं का अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय प्रतिवेदन के साथ–साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र भी भेजना सुनिश्चित करेंगें।

(अनुपालन– संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी एवं सभी उप निदेशक (कृ0अभि0) भूमि संरक्षण)

4.2 वर्ष 2017–18 की क्रियान्वित योजनाएँ यथा–राज्य योजना, BGREI Sub plan एवं & PMKSY- PDMC योजना राज्य के दक्षिणी बिहार के सभी जिलों में करायी जा रही है। योजना के अवशेष राशि दिनांक 30.11.2018 तक शत प्रतिशत व्यय करने तथा अद्यतन

भौतिक एवं वित्तीय प्रतिवेदन के साथ संबंधित योजना के उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 05.12.2018 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– सभी उप निदेशक ,कृषि अभि0, भूमि संरक्षण)

4.3 वर्ष 2018–19 की योजनाएँ

वित्तीय वर्ष 2018–19 में भूमि संरक्षण/BWDS के अन्तर्गत राज्य योजना में जिलों को राशि उप आवंटित करने की कार्रवाई की जा रही है। निदेश दिया गया कि योजना प्रारंभ होने से पहले की तैयारी यथा स्थलीय जॉच/आवेदन पत्र प्राप्त करना आदि की कार्रवाई सुनिश्चित कर लें ताकि राशि प्राप्त होते हीं योजना का कार्यान्वयन प्रारंभ हो सके।

(अनुपालन– सभी उप निदेशक ,कृषि अभि0, भूमि संरक्षण)

5 <u>वर्षाश्रित क्षेत्र विकास योजना (आर.ए.डी):–</u>

5.1 सूचित किया गया कि वर्ष 2017–18 की योजना उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक मुंगेर, औरंगाबाद, कैमूर, बाँका लखीसराय एवं गया से तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन कैमूर एवं जमुई से अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि व्यय की गई राशि के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय।

(अनु0–सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

5.2 भारत सरकार द्वारा इस योजना का वर्ष 2014–15 से 2017–18 तक का सभी आंकड़ा RAD MIS Portal पर अपलोड करने का निदेश दिया गया है। अभी तक मात्र कैमूर जिला द्वारा आंकड़ा अपलोड किया गया है। शेष जिला कृषि पदाधिकारियों को अविलम्ब इसे अपलोड करने का निदेश दिया गया।

(अनु0–सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

6 <u>परम्परागत कृषि विकास योजना:–</u> नमामि गंगे स्वच्छता अभियान अन्तर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना, वर्ष 2017–18 राज्य के भोजपुर, बक्सर, पटना, वैशाली एवं सारण जिला में कार्यान्वित किया गया है। इसके अन्तर्गत जिलों में LRP का चुनाव कर लिया गया है, लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। निदेश दिया गया कि कृषकों की सूची एवं पूर्ण प्रतिवेदन अविलम्ब उपलब्ध करा दें। भारत सरकार एवं जल संसाधन विभाग द्वारा प्रतिवेदन की मांग की जा रही है।

(अनु0–सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

7 <u>मृदा स्वास्थ्य कार्ड :–</u>

7.1 निदेश दिया गया कि 05, दिसम्बर 2018 को मृदा स्वास्थ्य दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर जिला एवं प्रखंड स्तर पर कृषि विज्ञान केन्द्र के साथ कैम्प आयोजित किया जाय। कैम्प में किसानों को प्रशिक्षण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के उपयोग एवं महत्ता की जानकारी दी जाय।

7.2 समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मिट्टी नमूना लेने के बाद भी नमूना मिट्टी जाँच प्रयोगशाला में प्राप्त नहीं हो पा रहा है। निदेश दिया गया कि 30 नवम्बर, 2018 तक सभी मिट्टी नमूना को प्रयोगशाला मे भेजवा दें। निदेश दिया गया कि ग्रीड के अन्तर्गत

आने वाले सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड देना है। इसलिए सभी किसानों का नाम संधारित होना चाहिए।

7.3 सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को लक्ष्य के अनुसार मिट्टी नमूना संग्रह कर इसका जाँच कराने एवं S.H.C. कृषकों को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनु0–कंडिका 7.1 से 7.3 सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

8 <u>पौधा संरक्षण कार्यक्रमः–</u>

8.1 फसल सुरक्षा कार्यक्रम, वर्ष 2018–19 की प्रगति शेखपुरा, वैशाली एवं सुपौल जिलों में हुई है। लेकिन किसी भी जिले में कोषागार से राशि की निकासी नहीं की गई है। निदेश दिया गया कि लक्ष्य के अनुसार ससमय भौतिक उपलब्धि प्राप्त की जाय एवं राशि की निकासी कर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

(अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

8.2 सूचित किया गया कि दिनांक 29.11.2018 को बामेति परिसर, पटना में अधिक मक्का उत्पादित करने वाले जिलों के पदाधिकारियों के लिए पौधा संरक्षण विषय पर एक सेमिनार आयोजित होने वाली है। इसमें पौधा संरक्षण से सम्बंधित सभी पदाधिकारियों को भाग लेने के लिए सूचित किया जाय।

(अनु0–सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

9 <u>टाल विकास योजनाः–</u> टाल विकास योजना वर्ष 2018–19 अन्तर्गत शेखपुरा, लखीसराय एवं मुंगेर जिला में उपलब्धि हुई है, लेकिन कोषागार से राशि की निकासी नहीं हुई है। सम्बंधित सभी जिला कृषि पदाधिकारीयों को निदेश दिया गया कि लक्ष्य के अनुसार ससमय उपलब्धि प्राप्त की जाय एवं राशि की निकासी की जाय।

(अनु0 सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

10 <u>धान की सामुदायिक नर्सरी विकास योजनाः–</u> यह योजना खरीफ 2018 में ही कार्यान्वित की गई है लेकिन अभी तक मात्र गया जिला में 6.37 लाख रू0 की निकासी की गई है। निदेश दिया गया कि सभी जिला कृषि पदाधिकारी भौतिक उपलब्धि के अनुसार कोषागार से राशि की निकासी कर लें एवं अन्तिम प्रगति प्रतिवेदन गुगल डॉक पर अपलोड कर दें।

(अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

11 <u>राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशनः–</u>

11.1 इस योजना में अभी तक 22% उपलब्धि हुई है। जहानाबाद की उपलब्धि शुन्य है। बक्सर, गया, नालन्दा, लखीसराय, अरवल, पटना, जमुई, भोजपुर, प0 चम्पारण एवं शेखपुरा जिला की उपलब्धि 10% से कम है। निदेश दिया गया कि रब्बी मौसम में लक्ष्य के अनुसार शत–प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त की जाय।

11.2 सूचित किया गया कि अतिरिक्त दलहन आच्छादन कार्यक्रम एवं टारगेंटिग राईस फैलो एरिया कार्यक्रम अन्तर्गत दलहन एवं तेलहन की उपलब्धि नगन्य है। इस योजना की उपलब्धि अभी नहीं करेंगे तो बाद में नहीं हो सकेगी। निदेश दिया गया कि मसूर का बीज यदि उपलब्ध नहीं होता है तो अब उपलब्धि की भरपाई गरमा मूंग से करेंगें।

11.3 निदेश दिया गया कि जो जिला अभी तक गत वर्ष 2017–18 का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रपत्र–42A में नहीं भेजे हैं, वे इसे अविलम्ब भेज दें एवं बजट पदाधिकारी से सम्पर्क कर